न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्या: 43/2021 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2021/53

कौशल्या देवी पत्नि श्री शिवरतन जाति ब्राह्मण निवासी सहजरासर हाल शर्मा कॉलोनी, बीकानेर।

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री राजेन्द्र सिंह शिमला – अभिभाषक अपीलांट
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 20.04.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार भू.अ. खाजूवाला के आदेश दिनांक 19.10.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 7 के.एल.डी. के मुरब्बा नंबर 219/12 के किला नंबर 11 ता 25 की 15 बीघा अनकमाण्ड आवंटनशुदा भूमि है। उक्त विवादित भूमि से संबंधित समस्त किश्ते जमा करवाकर दिनांक 09.01.1998 को खातेदारी सनद प्राप्त कर ली। चक 7 केएलडी वर्तमान में 10 केएलडी (बी) के रूप में जाना जाता है। खातेदारी प्राप्त करने के बाद अपीलांट के विरूद्ध आवंटन नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन (राजकीय भूमि का विक्रय एवं आवंटन) नियम–1975 के तहत उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 10.02.1993 को अपीलांट का आवंटन निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जिसे दिनांक 25.08.1993 को स्वीकार करते हुए आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के निर्णय दिनांक 10.02.1993 को अपास्त कर दिया। माननीय राजस्व अजमेर के निर्णय दिनांक 25.08.1993 के विरूद्ध राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक सिविल रिट दायर की। जिसमें राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 25.08.1993 को यथावत रखे जाने के आदेश दिए गये। उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला ने दिनांक 13.02.2019 को आदेश पारित करते हुए

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम अंकन करने बाबत निर्देशित किया जिस पर नामान्तकरण संख्या 137 दिनांक 19.10.2020 दर्ज करते हुए अपीलांट का नाम गैर खातेदार दर्ज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री राजेन्द्र सिंह शिमला ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 7 के.एल.डी. के मुरब्बा नंबर 219/12 के किला नंबर 11 ता 25 की 15 बीघा अनकमाण्ड आवंटनशुदा भूमि है। उक्त विवादित भूमि से संबंधित समस्त किश्ते जमा करवाकर दिनांक 09.01.1998 को खातेदारी सनद प्राप्त कर ली। चक 7 केएलडी वर्तमान में 10 केएलडी (बी) के रूप में जाना जाता है। खातेदारी प्राप्त करने के बाद अपीलांट के विरूद्ध आवंटन नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन (राजकीय भूमि का विक्रय एवं आवंटन) नियम–1975 के तहत उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 10.02.1993 को अपीलांट का आवंटन निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जिसे दिनांक 25.08.1993 को स्वीकार करते हुए आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के निर्णय दिनांक 10.02.1993 को अपास्त करते हुए निर्देशित किया कि संबंधित आवंटियों से विवादग्रस्त भूमि की किमत यदि पूर्व में कम ली गई है तो समीप की भूमि की दर जो गजट में विज्ञापित हो, की दर से वसूल की जावे और यदि भूमि गजट में शामिल नही हो तो गजट में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाये जावे।

माननीय राजस्व अजमेर के निर्णय दिनांक 25.08.1993 के विरूद्ध राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक सिविल रिट दायर की, जिसमें दिनांक 08.01.1999 में निर्णय पारित कर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 25.08.1993 को यथावत रखते हुए निर्देशित किया कि तकनीकी खामी के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता ताकि राज्य पक्ष की किसी गलती के कारण पक्षकार को कोई खामियाजा भुगतना न पड़े। उक्त आदेश दिनांक 08.01.1999 की पालना में राज्य सरकार ने आगे अपील नही करने (No Appeal) का निर्णय लिया। उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला ने दिनांक 13.02.2019 को आदेश पारित करते हुए राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम अंकन करने बाबत निर्देशित किया, जिस पर तहसीलदार भू.अ. खाजूवाला ने नामान्तकरण संख्या 137 दिनांक 19.10.2020 दर्ज करते हुए अपीलांट का नाम खातेदार की जगह गैर खातेदार दर्ज कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार से खातेदार अंकन किया जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3– विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 08.01.1999 एवं उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के निर्णय दिनांक 13.02.2019 की पालना में तहसीलदार भू.अ. खाजूवाला को प्रकरण में पुनः सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। प्रथमतः अपील अपीलांट को क्षेत्राधिकार में शुमार किया जाता है। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 137 दिनांक 19.10.2020 को निरस्त करते हुए अपील अपीलांट तहसीलदार भू.अ. खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर